राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2600/2015

अवधेश चंन्द्र शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2015
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध शासन उपसचिव के पद पर की गई पदोन्नति के स्थान पर 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध शासन उपसचिव की पदोन्नति देने एवं वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नति का अनुतोष चाहा है। विकल्प के रूप में वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नत पश्चात वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति का अनुतोष चाहा है। साथ ही आदेश दिनांक 29.06.2015 द्वारा वरिष्ठ शासन उपसचिव के रिक्ती वर्ष 2014–15 के तीन रिक्त पदों को अगले वर्ष हेतु अग्रेषित करने की कार्यवाही को अपास्त करने का अनुरोध किया एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार होने पर चूंकि अपीलार्थी दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत अपीलार्थी ने संशोधित जीपीओ/पीपीओ जारी कराने एवं एरियर राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भी अनुतोष चाहा है।

अपीलार्थी की तरफ से निवेदन है कि उसे दिनांक 25.09.2013 को निजी सचिव सवंर्ग से शासन उपसचिव पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति दी एवं विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर आदेश दिनांक 18.06.2014 द्वारा राजस्थान सचिवालय सेवा के शासन उपसचिव (निजी सचिव संवर्ग) के पद पर वर्ष

2014–15 की रिक्त्यों के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया। वर्ष 2013–14 में वरिष्ठ शासन उपसचिव के नवसृजित पदों पर डीपीसी के आधार पर दिनांक 23.09.2013 को 13 कार्मिकों को पदोन्नति देने से वर्ष 2013–14 में शासन उपसचिव के 13 पद रिक्त हो गये। इन रिक्त पदों की डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को शासन उपसचिव के पद पर वर्ष 2013–14 में पदोन्नति देनी चाहिए थी। आदेश दिनांक 23.09.2013 द्वारा जिन 13 शासन उपसचिव को वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नति किया है उनमें से 3 अधिकारियों की शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नति वर्ष 2013–14 में ही हुई थी। अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 में शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नति होने पर वह 2014–15 में उपलब्ध वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ प्राप्त करता। अपीलार्थी की तरफ से निवेदन किया कि कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में यह प्रावधान है कि यदि सेवा में नये पद का समावेश किया जाना है या नियमों के विद्यमान प्रावधानों में संशोधन प्रकियाधीन है तो पहले नियमों में संशोधन एवं पदों का नियमों में समावेश करने की प्रकिया को पूरा किया जावे। अतः यदि वर्ष 2013–14 में सेवानियमों में संशोधन एवं वरिष्ठ शासन उपसचिव के पदों के समावेश के पश्चात शासन उपसचिव के पद की डीपीसी की कार्यवाही की जाती तो अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध शासन उपसचिव के पद पर नियमित पदोन्नति हो जाती एवं वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ शासन उपसचिव की पदोन्नति का लाभ सेवानिवृति से पहले मिल जाता। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो अपीलार्थी की 2014–15 की रिक्ती के विरूद्ध शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति के पश्चात वर्ष 2014–15 की वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे जैसा कि वर्ष 2013–14 में जिन 13 अधिकारियों को वरिष्ठ उपशासन सचिव के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है उनमें से तीन अधिकारी वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नत हुए है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि अपीलार्थी को डीपीसी की अभिशंषा पर निजी सचिव सवंर्ग में 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 18.06.2014 को शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृति होने से 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ शासन उपसचिव पद पर पदोन्नति संभव नही थी। वर्ष 2013–14 में डीपीसी की बैठक दिनांक 06.05.2013 को आयोजित कर शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नतियां प्रदान की गई। इस वर्ष दिनांक 11.09.2013 को सचिवालय अधिकारी सवंर्ग में राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ शासन उपसचिव के 37 पद नवसृजित किए

गये। अतः जो अधिकारी वर्ष 2013–14 में शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नत हुए थे उनके पात्रता सूची में होने एवं वरिष्ठ शासन उपसचिव में नवसृजित पद उपलब्ध होने के कारण डीपीसी की बैठक दिनांक 17.09.2013 को आयोजित कर केवल नवसृजित वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई एवं इससे शासन उपसचिव के रिक्त हुए पदों पर निजी सचिव/सहायक सचिवो को तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी भी शामिल है। चूंकि शासन उपसचिव की वर्ष 2013–14 की डीपीसी की बैठक 06.05.2013 को सम्पन्न हो चुकी थी अतः एक वर्ष में दो बार डीपीसी का आयोजन नहीं किया जाता है। अपीलार्थी वर्ष 2014–15 में शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नत हुआ है जो दिनांक 01.04.2014 को निजी सचिव की वरिष्ठता सूची में था अतः अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाना संभव नहीं है। साथ ही निवेदन किया कि एक ही पदोन्नति वर्ष में दो बार पदोन्नति नियमानुसार देय नहीं है। अतः अपीलार्थी को 2014–15 में वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद पर पदोन्नति नियमानुसार संभव नहीं है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में दिनांक 04.06.2008 को परिपत्र जारी किया गया है उसके प्रासंगिक अंश नीचे लिखे जा रहे हैः–

4. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की आवृतिः–

4.1 प्रत्येक संवर्ग के पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में सम्पन्न की जाए।

4.2 एक संवर्ग/संवर्ग के पदो के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में केवल एक ही बार सम्पादित की जानी है।

6 रिक्तियों के अवधारण का समय बिंदूः–

6.1 रिक्तियों का अवधारण विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल की वास्तविक रिक्तियों को मिलाते हुये किया जाना है जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष की वास्तविक एवं सम्भावित उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित हों।

6.2 रिक्तियों का अवधारण हालांकि एक अप्रैल की स्थिति में करना है किंतु इसे एक अप्रैल अथवा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में किसी भी समय कर सकते है। प्रशासनिक कारणों से इसे आगामी वर्षों के लिये टाला भी जा सकता है।

6.3 पूरे विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की रिक्तियों का अवधारण वर्ष में केवल एक बार ही किया जाए। रिक्तियों में होने वाले ऐसे अन्तर को जो रिक्तियों के अवधारणा के पश्चात एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पूर्व प्राप्त होती है, उसकी गणना विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक के समय की जायेगी (Variation to be accounted for at the of meeting)

7.5.6 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो जाने के उपरान्त उपलब्ध हुई रिक्ति आगामी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के लिये ही गणना योग्य होगी लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन होने तक उपलब्ध हुई रिक्ति इसी डीपीसी वर्ष में गणना योग्य है।

8.1 किसी पद विशेष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जानी है, का यदि संबंधित सेवा नियमों में समावेश नहीं हुआ है अथवा नियमों के विद्यमान प्रावधान में किसी प्रकार का संशोधन प्रक्रियाधीन है तो सर्वप्रथम इस प्रकार के संशोधन अथवा नियमों में पद के समावेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाए तथा नियमों में संशोधन होने के पश्चात ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव तैयार किए जाए।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक एक पदोन्नति वर्ष में एक बार ही होगी एवं पदोन्नति समिति की बैठक होने तक उस वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों को शामिल कर पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जायेगा एवं जो रिक्तियां पदोन्नति समिति की बैठक के बाद उपलब्ध हुई है उन्हें आगामी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के लिए गणना योग्य होगी। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि शासन उपसचिव के पद हेतु वर्ष 2013–14 की रिक्तियों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित जाकर पदोन्नति आदेश दिनांक 06.05.2013 को जारी किए गये। उससे स्पष्ट है कि शासन उपसचिव की वर्ष 2013–14 की रिक्तियों की डीपीसी मई 2013 में सम्पादित हो जाने से इस डीपीसी के बाद उपलब्ध होने वाली रिक्तियों हेतु वर्ष 2013–14 में डीपीसी की पुनः आयोजित नहीं जा सकती।

जहां तक अपीलार्थी की तरफ से यह कथन करना कि तत्समय सचिवालय सेवा नियमों में संशोधन करने एवं नये पद का समावेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी इसलिए कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदू संख्या 8.1 के अनुसार उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात डीपीसी की कार्यवाही की जारी चाहिए थी ताकि वर्ष 2013–14 में नवसृजित वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद पर

पदोन्नति होने से उपलब्ध होने वाले शासन उप सचिव के रिक्त पद पर वर्ष 2013–14 में पदोन्नति मिल जाती। यह सही है कि सचिवालय सेवा नियमों में दिनांक 13.08.2013 को वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद का समावेश किया एवं दिनांक 11.09.2013 को वरिष्ठ शासन उपसचिव के 37 नवीन पदों की स्वीकृति जारी हुई परंतु अपीलार्थी की तरफ से पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वर्ष 2013–14 की शासन उपसचिव की डीपीसी के समय माह मई 2013 में संबंधित सेवा नियमों में नवीन पद को समाविष्ट करने एवं नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी। साथ ही उपशासन सचिव के संबंध में नियमो में कोई संशोधन होना नहीं पाया जाता है। अतः दस्तावेजात के अभाव में अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार करने योग्य है। अतः एक ही वर्ष में दो बार डीपीसी का आयोजन नियमानुसार संभव नहीं है।

अपीलार्थी की तरफ से यह कथन है कि उसे वर्ष 2014–15 में शासन उपसचिव के पद पर आदेश दिनांक 18.06.2014 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है। इसी वर्ष 2014–15 में उसे वरिष्ठ शासन उपसचिव के उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे एवं पात्र कार्मिकों के उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2014–15 के वरिष्ठ शासन उपसचिव के 3 पदों को आगामी वर्ष हेतु अग्रेषित करने की कार्यवाही का निरस्त किया जावे। अपीलार्थी का निवेदन है कि वर्ष 2013–14 में भी तीन लोक सेवकों का वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध शासन उपसचिव एवं वरिष्ठ शासन उपसचिव के पदों पर एक पदोन्नति वर्ष में दो पदोन्नतियां प्रदान की गई। अपीलार्थी का यह कथन इस आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है कि एक पदोन्नति वर्ष में एक लोकसेवक की दो बार पदोन्नति नहीं की जा सकती। नियमानुसार एक पदोन्नति वर्ष में एक ही पदोन्नति दी जा सकती है। यद्यपि अपीलार्थी का यह कथन सहीं है कि रिक्ती वर्ष 2013–14 में जिन तीन लोकसेवकों को निजी सचिव से शासन उपसचिव के पद पर आदेश दिनांक 06.05.2013 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है उन्हें इसी वर्ष 2013–14 के वरिष्ठ शासन उपसचिव की रिक्ती के विरूद्ध डीपीसी की अनुशंषा पर आदेश दिनांक 23.09.2013 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। इस प्रकार तीन लोक सेवकों को एक पदोन्नति वर्ष में दो पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग की एक नियम विरूद्ध कार्यवाही के आधार पर उसे अन्य नियम विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेशित नहीं किया जा सकता। यह भी तथ्य है कि वरिष्ठ शासन उपसचिव के पद हेतु जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 23.09.2013 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों की अवहेलना की गई है। वरिष्ठ शासन उपसचिव के (निजी सचिव सवंर्ग) के 16 पदों का नवसृजन पहली बार 2013–14 में हुआ है। अतः आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण के आधार

पर एससी के 3 पद एवं एसटी के दो पद होते है जबकि पदोन्नति के पदोन्नत सभी 13 लोक सेवक सामान्य श्रेणी के है एवं उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार आरक्षित श्रेणी के लोक सेवक डीपीसी के समय शासन उपसचिव के पद पर पदस्थापित थे। परंतु पदोन्नति आदेश दिनांक 23.09.2013 को अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। अतः इस संबंध मं कोई आदेश दिया जाना संभव नहीं है।

अतः हम उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)